परिचित ने किया महिला से रेप

घर में अकेला पाकर पकड़ा, पति के आने पर धक्का देकर भागा

जयपुर, 6 जून (का.सं.)। जयपुर में परिचित युवक के एक महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने घर आए परिचित ने अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। पति के आने पर धक्का देकर वहां से भाग निकला। शिवदासपुरा थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच एसीपी (चाकसू) सुरेन्द्र सिंह कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया- शिवदासपुरा निवासी 30 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी कल्याण सहाय गुर्जर के परिचित होने के कारण घर पर आना-जाना था। 3 जून को दोपहर आरोपी कल्याण सहाय मिलने के बहाने घर आया। घर पर अकेला पाकर आरोपी ने उसको पकड़ लिया।

रेलवे ट्रेक पर मिला शव

जयपुर, 6 जून (का.सं.)। जयपुर में गुरुवार शाम रेलवे ट्रेक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अशोक नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SMS हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि मृतक प्रेम महावर (25) निवासी रामगंज का रहने वाला था। वह दोपहर में बिना बताए घर से निकला था। शाम करीब 6:30 बजे उसकी लाश 22-गोदाम पुलिया के नीचे रेलवे ट्रेक पर मिली। युवक की लाश पड़े देखकर लोगों ने सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना पर अशोक नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SMS हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी भिजवाया। ट्रेन की चपेट में आने से प्रेम की मौत हुई है।

कैरियर काउंसलिंग सेमिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

फुलेरा, 6 जून (राजकुमार देवाल)। निकटवर्ती रेनवाल तहसील की पंचायत लुनियावास में 10 वी व 12 वी के 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का विवेकानंद डिफेंस कि रेनवाल की तरफ़ से सम्मानित किया गया जिसमें गुलाबी नगर गदड़ी, तुर्कियावास, सूरपुरा, लुनियावास के बच्चों तथा उनके परिजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया । कार्यक्रम का आयोजन विवेकानंद डिफेन्स के मार्गदर्शक इंस्पेक्टर एसएस मेहरड़ा तथा निदेशक अमित मेहरड़ा के सानिध्य में किया गया।

जिसमें 100 से अधिक बच्चों को सम्मानित किया गया कार्यक्रम में मंच संचालन समाजसेवी शिक्षाविद् विजेन्द्र सांभरिया ने किया । अकादमी की तरफ़ से दिव्यांग बच्चो तथा अनाथ बच्चो, व सेमिनार में आने वाले बच्चो के लिए विशेष घोषणा की,ऋषभ स्वामी ने 10 वी में 98.50 प्रतिशत तथा रितु खरबास ने 12 वी में 97.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर रेनवाल तहसील टॉप किया है । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य सुनिता देवी मीणा,रामपाल गीला, मोहन कुमावत,नरसाराम गौरा, नेमीचंद ,नंदाराम जेवलिया, दिलीप सिंह,माया सेपट मय स्टाफ, बीरबल,नरपत सिंह, दिलीप सिंह, ताराचंद, अनिल रहे । अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चो में,सिया चौधरी, दीपिका चाहिल,ममता शारण, अनुष्का मीणा,सीमा यादव,दिशा, दिव्या कुमावत, पूनम सांसी, खुशबू सांभरिया सहित कई बच्चों को सम्मानित किया । इस अवसर पर पवन,अनुजा चौधरी, डॉ.अक्षय, विजय राजवीर, प्रदीप बाजिया,महीपाल गीला सहित मौजूद गणमान्य लोगों ने बच्चों का प्रोत्साहित किया ।

फ्री एंट्री नहीं मिली तो वॉटर पार्क में चलाया बुलडोजर

जबरन घुसे 100 लोगों ने मचाया उत्पात, फायरिंग की; पूर्व प्रधान का हाथ टूटा

चित्तौड़गढ़, 6 जून (का.सं.)। चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 100 लोग जेसीबी लेकर वॉटर पार्क में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक साथ वॉटर पार्क में इतने लोगों के घुसने और हंगामा करने से वहां मौजूद लगभग 500 विजिटर्स में अफरातफरी मच गई। जबरन घुसे लोगों और वॉटर पार्क के स्टाफ के बीच हाथापाई भी हो गई। इसमें पूर्व प्रधान सहित छह लोग घायल हो गए। मामला गंगरार थाना इलाके में भीलवाड़ा जिले के बॉर्डर पर स्थित किंग्स वॉटर पार्क का गुरुवार दोपहर करीब एक बजे का है।

हंगामे और तोड़फोड़ की सूचना पर गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दी गई है। बताया जा रहा है कि वॉटर पार्क में फ्री में घुसने को लेकर विवाद हुआ था। इन लोगों का कहना था कि हम लोकल हैं तो हमारी एंट्री फ्री में होनी चाहिए।

डीएसपी रविन्द्र प्रताप सिंह ने बताया- चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के बॉर्डर पर किंग्स वॉटर पार्क स्थित है। जहां गुरुवार को कुछ युवक फ्री में एंट्री कर नहा रहे थे। इस दौरान वॉटर पार्क के स्टाफ ने युवकों को टोका और मारपीट कर दी। इससे गुस्साए युवकों ने अपने साथियों को सूचना दी। इसके बाद सोनियाणा सहित आसपास के गांवों के करीब 100 युवक जेसीबी लेकर वॉटर पार्क पहुंचे और पूरे परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। प्रथम दृष्टया फायरिंग होने की बात भी सामने आई है। उसकी जांच कर रहे हैं।

अचानक तोड़फोड़ और हंगामे से घबरा गए लोग

डीएसपी ने बताया- वॉटर पार्क में अचानक तोड़फोड़ और हंगामे से वहां नहाने आए लोग दहशत में आ गए। लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागे। सूचना पर गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उत्पात करने वाले युवकों की संख्या अधिक होने से मौके पर और पुलिस बल बुलवाया गया। तोड़फोड़ करने के बाद सभी उत्पाती युवक मौके से फरार हो गए।

यात्रियों की सुविधा हेतु डिब्बों में स्थाई बढोतरी

यशवन्तपुर-जयपुर-यशवन्तपुर रेलसेवा में स्थाई तौर पर बढाया 01 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बा

जयपुर, 6 जून (का.सं.)। रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु यशवन्तपुर-जयपुर-यशवन्तपुर रेलसेवा में 01 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की स्थाई बढोतरी की जा रही है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 82653/82654, यशवन्तपुर-जयपुर-यशवन्तपुर रेलसेवा में यशवन्तपुर से दिनांक 13.06.24 से एवं जयपुर से दिनांक 15.06.24 से 01 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की स्थाई बढोतरी की जा रही है। इस बढोतरी के पश्चात् इस रेलसेवा में 02 सैकण्ड एसी, 04 थर्ड एसी, 12 द्वितीय शयनयान 01 पेंट्रीकार व 02 पॉवरकार डिब्बो सहित कुल 21 डिब्बे होगे।

(एन.सी.सी. अधिकारियो का अभिमुखीकरण)

एन.सी.सी. का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है: कर्नल साकेत लाल

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 6 जून (का.सं.)। प्रथम राज आर्मड़ स्क्वाड्रन एन.सी.सी. के कर्मचारी अधिकारी, पी.आई. स्टाफ जे.सी.ओ. तथा ए.एन.ओज. के लिए कमान अधिकारी कर्नल साकेत लाल के नेतृत्व में नये शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरूआत से पहले एक दिवसीय ओरिएण्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मेजर राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस ओरिएण्टेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एन.सी.सी. के महत्व पर बल देना तो था ही साथ ही शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना भी था। युवाओं के बेहतर कल के लिए कालेजों में प्रवेश के समय कैडेट के रूप में उन्हें चिन्हित करना। एन.सी.सी. कैडेट्स के रूप में देश के लिए अच्छे नागरिको के रूप में तैयार करना। कैडेट्स को गहन प्रशिक्षण प्रदान करना। ए.एन.ओज के द्वारा आदर्श मॉडल के रूप में प्रत्येक कैडेट को तराशना और तैयार करना। समय पर कैडिट्स के लिए परेड व कैम्प का आयोजन करना। कैडिट्स को उचित अवसर पर आवश्यक प्रोत्सान प्रदान करना।

एन.सी.सी. विश्व में युवाओं का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है इसके कारण एन.सी.सी. का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी माँग और आपूर्ति में समन्वय स्थापित करना भविष्य में एक प्रकार की चुनौति साबित होगा। इसके लिए प्रशिक्षण को और अधिक प्रशवी एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाना होगा। एन.सी.सी. संचालित होने वाले प्रत्येक विधालय/महाविद्यालय में एन.सी.सी. का एक अलग से कक्ष बनाया जाना आवश्यक है। यह कक्ष मोटिवेशनल कक्ष के रूप में विकसित किया जाना उचित होगा। जिसमें संस्था के कैडटेस की उपलब्धियों को दर्शाया जाना उचित होगा।

कार्यक्रम के अन्त में मेजर राजेश कुमार शर्मा ने सांसद निधि कोष से आर्मड़ यूनिट में निर्मित कराये गये ए.एन.ओ. एवं मल्टीपर्पज कक्ष का मोटिवेशनल कक्ष के रूप में निर्माण कराये जाने के लिए निवर्तमान सांसद श्री रामचरण बोहरा का धन्यवाद किया गया। साथ ही उपस्थित सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा कमान अधिकारी कर्नल साकेत लाल का इस आयोजन के लिए आशर व्यक्त किया गया। इस अवसर पर मेजर राजेश कुमार शर्मा, लेफ्ट निशांत स्वामी, लेफ्ट कृष्ण नन्दन, फर्स्ट आफीसर रमेश चन्द शर्मा, लेफ्ट मिराया, रिसालदार सुन्दर सिंह, दफेदार चन्दन सिंह, दफेदार योगेन्द्र कुमार, दफेदार राजेश बोरो सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री गुरू ग्रंथ साहिब का अखण्ड पाठ सतनाम वाहेगुरु के साथ आज होगा लंगर

उज्जैन खाचरोद, 6 जून (मुरलीदास बैरागी)। उज्जैन के खाचरोद में गुरुनानक देव जी की असीम अनुकम्पा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखण्ड पाठ का आयोजन अंबीका वेयरहाउस नागदा रोड़ पर कपूर परिवार द्वारा किया जा रहा है। अखण्ड पाठ के पहले श्री गुरु ग्रंथ साहैब की शोभायात्रा नीकालकर अम्बीका वेयर हाउस पाठ स्थल पर पहुचे आध्यात्मिक अखण्ड पाठ का उद्देश्य शांति सदभावना, पर्यावरण सुरक्षा,महामारी बचाव और खेती फसली में अच्छी बरसात की कामना ओके साज कपूर परिवार द्वारा तीन दिवसीय श्री गुरू ग्रंथ साहिब का अखण्ड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मई शुक्रवार को 12:30 बजे पाठ का समापन होगा उसके बाद लंगर आयोजित होगा।

दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हिमाचल प्रदेश को दिया 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश

नई दिल्ली, 06 जून (वेब वार्ता)। दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है।अदालत ने हरियाणा से कहा है कि वह दिल्ली में पानी पहुंचने की राह में रोड़ा न बने, बल्कि पानी पहुंचाने में पूरा सहयोग करे। हरियाणा सरकार की दलीलें खारिज करते हुए अदालत ने दिल्ली में बेरोकटोक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी की बर्बादी न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अपर रिवर बोर्ड की राज्यों के साथ मीटिंग हुई, हिमाचल पानी देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा आपत्ति जता रहा है।

हिमाचल पानी दे रहा तो आपको क्या दिक्कत?

हरियाणा के विरोध वाले सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि पानी हिमाचल से आ रहा है, हरियाणा से नहीं। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि यह रास्ते के अधिकार का मामला है। अगर हम इतने गंभीर मुद्दे पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो क्या होगा। हिमाचल जब पानी दे रहा है तो हरियाणा इसे पास होने दें। अगर जरूरत पड़ी तो अदालत मुख्य सचिव को आदेश देगी। दिल्ली की तरफ से वकील सिंघवी ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि ब्यास नदी का पानी हरियाणा की नहरों के ज़रिए भेजा जा सकता है। हिमाचल इसके लिए तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया कि जब हिमाचल प्रदेश ने सहमति दे दी है तो आप रास्ता क्यों नहीं दे सकते? इस पर हरियाणा के वकील ने कहा कि यह प्रस्ताव संभव नहीं है" ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह संभव हो सके।

पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए- एससी

दिल्ली सरकार ने कहा कि हिमाचल ने उदारता दिखाते हुए पानी देने को कहा है, लेकिन हरियाणा ने मना कर दिया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कौन मॉनीटर करेगा कि हिमाचल ने अतिरिक्त पानी छोड़ा है या नहीं। इस पर हरियाणा ने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे पता चले कि हिमाचल ने कितना पानी छोड़ा है।जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कल यह कहते हुए राजनीति नहीं होनी चाहिए कि हिमाचल पानी दे रहा है, लेकिन हरियाणा नहीं छोड़ रहा है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने कहा कि हमने सिर्फ 1 महीने का समय मांगा था।

दिल्ली का हरियाणा पर बाधा डालने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि यह अब बोर्ड की सिफारिश है, हम याचिका का संज्ञान लेकर नहीं, बल्कि उस पर आदेश पारित कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ से वकील शादान फरासत ने आरोप लगाया कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के काम में बाधा डाल रहा है।

उनके पास रास्ता न देने का कोई वैध कारण नहीं है। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि क्या जल संकट को पहचाना नहीं गया। वहीं हरियाणा के वकील से पूछा कि अगर अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश पारित करते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? इस पर हरियाणा की तरफ से कहा गया कि अतिरिक्त पानी को मापने और उसे अलग करने का तरीका नहीं है।

मतदाताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के 'दमन' को खारिज किया: सुप्रिया सुले

पुणे, 06 जून (वेब वार्ता)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नेता सुप्रिया सुले ने बृहस्पतिवार को कहा कि मतदाताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के 'दमन' को खारिज कर दिया है। सुले ने बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार और अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को हराया है। चुनाव जीतने के बाद शहर के अपने पहले दौरे के दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी 'इंडिया गठबंधन' ने 'प्रतीक्षा करो और देखो' की नीति अपनाई है क्योंकि उसके पास सरकार बनाने के लिए संख्या नहीं है, लेकिन यह 'तैयार' है।

उन्होंने कहा, 'इस चुनाव में राज्य के मतदाताओं ने 'आईसीई' (आयकर, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय) और उनके दमन को नकार दिया है और यही महाराष्ट्र की असली ताकत है।' सुले ने आगे कहा कि मतदाताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को नकार दिया और इस बात पर जोर दिया कि देश संविधान के ढांचे के भीतर चलेगा। बुधवार को दिल्ली में अपने पिता शरद पवार के साथ 'इंडिया गठबंधन' की बैठक में शामिल हुईं सुले ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने 'प्रतीक्षा करो और देखो' की नीति अपनाने का फैसला किया है क्योंकि उसके पास संख्या नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने नियमों के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन 'इंडिया गठबंधन' भी 'तैयार' है।

ऑपरेशन 'ब्लूस्टार' की बरसी पर पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे

अमृतसर, 06 जून (वेब वार्ता)। पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन 'ब्लूस्टार' की 40वीं बरसी पर बृहस्पतिवार को कट्टरपंथी सिख संगठनों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए।

सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) और पूर्व सांसद ध्यान सिंह मंड के गुट समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त में ये नारे लगाए। हाल ही में संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले मान भी इस दौरान मौजूद थे। कट्टरपंथी संगठन दल खालसा के नेतृत्व में कुछ सिख युवा हाथों में खालिस्तानी झंडे और क्षतिग्रस्त अकाल तख्त की तस्वीरें लिये हुए नजर आए।

इसके साथ ही, दल खालसा के कार्यकर्ताओं ने मारे गए चरमपंथी जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की फोटो वाली तख्तियां हाथों में ली हुई थीं। पिछले साल कनाडा में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। अकाल तख्त के नजदीक, सबसे पवित्र सिख तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर के परिसर में खालिस्तान समर्थक नारे सुनाई दिए। कुछ सिख युवाओं ने 'खालिस्तान जिंदाबाद' लिखे बैनर और तख्तियां पकड़ी हुई थीं। ऑपरेशन 'ब्लूस्टार' की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए अमृतसर में सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. नीलामी सूचना

यह आम जनता को सूचित करने के लिए है कि फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने उन खातों (नीचे उल्लेखित) से संबंधित सोने के गहनों की नीलामी करने का निर्णय लिया है जो अतिदेय हो गए हैं या जिनमें ग्राहकों की चूक या मार्जिन भंग है। नीलामी नीचे निर्दिष्ट संबंधित शाखाओं में **मंगलवार 18-06-2024 को सुबह 10.00 बजे से 12.00 बजे के बीच** आयोजित की जाएगी। यह नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने तक जारी रहेगा।

फ़तेहपुर-जयपुर 9783337555 **FEDGL0505**0001350, 0000539, 0000541, 0000543, 0000547, 0000550, 0000559, 0000580, 0000844, 0001349, 0001143, 0001546, 0001596, 0001619, **FEDBD0505**0000046 **झोटवाड़ा** 9485632094 **FEDGL0494**0000682, 0000686, 0000690, 0000691, 0000700, 0000707 **कालवाड़ रोड** 9840047982 **FEDGL0441**0001899, 0001900 , 0001902, 0001906, 0001927, 0001929, 0001930, 0001939, 0001940, 0001946, 0001952, 0001956, 0001959, 0001968, 0001970, 000 2274, 0002309 **मानसरोवर - जयपुर** 8114454935 **FEDGL0504**0000349, 0000373, 0000380, 0000381, 0000386, 0000388, 0000539, 0000557, 0000571 **मुरलीपुरा** 0141-4003333 **FENTGL0442**0001635, 0001637, 0001639, 0001651, 0001665, 0001699, 0001702, 0001736, 0001741, 0001741, 0001741, **FEDGL0506**0000506, 0000513, 0000540, 0000546, 0000549, 0000747, 0000935, 0001191 **रामगंज जयपुर** 8302468164 **FENDGL0480**0001149, 0001150, 0001159, 0001187, 0001189, 0001194, 0001205, 0001207, 0001213, 0001216, 0001217, 0001618 **सांगानेर** 8302486184 **FEDGL0493**0002 209, 0002215, 0001144, 0001145, 0001161, 0001168, 0001169, 0001170, 0001175, 0001180, 0001193, 0001196, 0001201, 0001202 , 0001204, 0001207, 0001217, 0001523, 0001544, 0001847, 0002159, 0002163, **FEDDS0493**0000064, 0000065, 0000101 **सीकर** 1572294009 **FEDGL0421**0004478, 0003230, 0003251, 0003252, 0003272, 0003277, 0003289, 0003293, 0003300, 0003337, 0003344, 0003365, 0003394, 0003397, 0003403, 0003406, 0003408, 0003410, **FEDDS0421**0000237, 0000266

स्थान या तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो तो, हमारी वेबसाइट **www.fedfina.com** पर प्रदर्शित किया जाएगा। भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। जो ग्राहक अपने गहने जारी करना चाहते हैं, वे उस आधार शाखा में जा सकते हैं जहां ग्राहक द्वारा गहने गिरवी रखे गए थे या लागू नियमों और शर्तों के अधीन 17-06-2024 को/या उससे पहले ऊपर बताए गए नंबर पर संपर्क करें।

नीलामी संबंधित शाखाओं में आयोजित की जाएगी, यदि किसी कारण से दी गई तिथि पर नीलामी पूरी नहीं होती है, तो उसके संबंध में नीलामी हमारी वेबसाइट पर विवरण प्रदर्शित करने के बाद जिला स्तर की शाखा में बाद के कार्य दिवसों में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई और संचार जारी नहीं किया जाएगा।

दिनांक :07-06-2024 — **के लिए, एसडीएल- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

स्थान : राजस्थान — **फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

सम्पत्ति के विक्रय हेतु ऑनलाईन ई-नीलामी

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak Kotak Mahindra Bank

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी -27, जी-ब्लॉक, बांन्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051

शाखा कार्यालय: प्रथम तल, 232-233 एसडीसी टॉवर, आम्रपाली सर्किल के पास, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर- 302021

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। 'फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'एफआईएचएफसीएल' के रूप में संदर्भित) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी (इसके बाद 'बैंक / केएमबीएल / सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित) ने नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद प्रतिभूत संपत्ति कहा जाता है) का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो 07.03.2024 को सुरक्षित लेनदार को बंधक / भारित है। इसके द्वारा ऋणी (ओं) और विशेष रूप से जमानतदारों (ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से प्रतिभूत परिसंपत्ति को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचने का फैसला किया है ताकि 06.06.2024 को बकाया रु. 28,09,841/- (अट्ठाईस लाख नौ हजार आठ सौ इकतालीस रुपये मात्र) की वसूली की जा सके, साथ ही वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज भी लिया जा सके, ऋण खाता संख्या 602607210146486 और 602607510146742 के तहत; नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऋण श्रीमती हंसा देवी पत्नी स्व. श्री रामपाल शर्मा (मृतक के बाद), श्री विनोद पुत्र स्व. श्री रामपाल शर्मा और मैसर्स श्री बजरंग द्वारा लिया गया।

विशिष्ट (PARTICULARG)	विवरण
नीलामी की दिनांक	11.07.2024
नीलामी का समय	दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट की असिमित समयावृद्धि के साथ
आरक्षित मूल्य	रू. 16,00,000/- (रूपये सौलह लाख मात्र)
जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	रू. 1,60,000/- (रूपये एक लाख साठ हजार मात्र)
केवाईसी एवं धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम दिनांक	10.07.2024 सांय 05:00 बजे तक (IST)
प्रतिभूत संपत्ति का विवरण	बंधक संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें मकान नं. 136/191 (बिना छत के अधिकार) भूतल, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 46.870 वर्गमीटर, सीमाएं- पूर्वः मकान नं. 13/192, पश्चिमः मकान नं. 13/190, उत्तरः पार्क, दक्षिणः मकान नं. 13/194
ज्ञात प्रभार यदि कोई हो	ज्ञात नही

ऋणियों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सामान्य रूप से आमजन और विशेष रूप से ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी कारण से निर्धारित नीलामी विफल रहती है तो प्रतिभूति लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से प्रतिभूत हित को लागू कर सकता है। सम्पत्ति की बिक्री हेतु किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता हेतु बोलीदाता सम्पर्क करे- **श्री रविंदर सिंह गोदारा (+91 9983999074), सुश्री लक्ष्मी चौधरी (+91 7412032966), श्री अक्षित सोलंकी (+91 7302111608) और श्री राजेंद्र दहिया (+91 8448264515)।** आईडीडर स्पष्टीकरण के लिए बैंक के आईवीआर नंबर (+91-9152219751) पर भी संपर्क कर सकता है। बिक्री के नियम व शर्तों की अधिक जानकारी हेतु कृपया लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html कोटक महिन्द्रा बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.kotak.com अथवा http://bankauctions.in/ का सदर्भ लेवे।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 07.06.2024 **स्थानः जयपुर** — **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**

एल&टी फायनांस लिमिटेड

(पहले इसे एल&टी फायनांस होल्डिंग्स लिमिटेड कहा जाता था)

पंजीकृत कार्यालय: एल&टी फायनांस लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400 098

सीआईएन नं.: L67120MH2008PLC181833

शाखा कार्यालय: जयपुर (राजस्थान)

L&T Finance

कब्जा नोटिस

[नियम-8 (1)]

जब कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और उक्त कानून की धारा 13(12) द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के [नियम 3] के साथ पढ़ते हुए एल&टी फायनांस होल्डिंग्स लिमिटेड (पूर्व में, एल&टी फायनांस होल्डिंग्स लि.) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं और गारंटीदाताओं को भुगतान/राशि प्राप्त होने तक मांग सूचना के दिनांक से आगे के ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन के अंदर नीचे संलग्न मांग सूचना में वर्णित राशि की चुकौती के लिए मांग सूचना जारी की है. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं और गारंटीदाताओं को मांग सूचना के दिनांक से भुगतान/वसूली होने तक आगामी ब्याज और प्रभारों के साथ अदा करने का आवाहन किया गया. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण एतद्द्वारा उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटीदाताओं और जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त कानून की धारा 13 के अंतर्गत उन्हें दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए यहाँ वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है.

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/ओं, सह-उधारकर्ता/ओं और गारंटीदाताओं का नाम	बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण	माँग नोटिस		लिए गए कब्जे का दिनांक और प्रकार
			दिनांक	बकाया राशि (₹)	
H1453427092105204 8	1. अमिताभ प्रकाश ठाकुर, ऋणी के रूप में 2. नीलम मिश्रा (ठाकुर), सह-ऋणी/यों के रूप में	संपत्ति के सभी हिस्से एवं अंश, फ्लैट नं. आरजे/टॉवर-डी, चतुर्थ तल, 402/403, जिसके सुपर एरिया की माप है 3530.00 वर्ग फीट, जो शिवराज रेसिडेंसी में है, जो ओमेक्स सिटी, ग्राम बगरू खुर्द, भंभोरिया, जयपुर अजमेर रोड, अजमेर, जयपुर, राजस्थान 302006 में स्थित है.	28.03.2024	रु. 68,15,779.14 28-03-2024 को	03-06-2024 सांकेतिक कब्जा

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटीदाताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से, एतदद्वारा, संपत्ति का सौदा न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति का कोई भी सौदा माँग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ माँग नोटिस में उल्लिखित राशि के लिए एल&टी फायनांस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा.

कृते/-

दिनांक: 07.06.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी**

स्थान: जयपुर (राजस्थान) — **एल&टी फायनांस लिमिटेड के लिए**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेंगे। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: yuvrajsinghh@gmail.com